

समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-221954

फैक्स न०-0612-2

Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@

—: आदेश :—

20-07-2013

आवेदक श्री बिक्रमादित्य कुमार, पिता—श्री साधु शरण सिंह, सा०—ईकबाल निसरपुरा, थाना—रानीतालाब, जिला—पटना से प्राप्त एक डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुः आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—208/2010 कायम करते हुए वरीय पु अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—19.07.2013 निर्धारित की अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—20.07.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक—20.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषक हैं। उनके द्वारा अपने ज माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर स् भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक—63/गो०, दिनांक—16.01.2011 आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज द्वारा पु निरीक्षक, विक्रम अंचल, पटना के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुः आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, रानीतालाब द्वारा प्रतिवेदित किया ग कि आवेदक कृषक हैं। आवेदक के बाबा श्री राजदेव सिंह, जो काफी वृद्ध हो चुके हैं, उ उम्र 85 वर्ष हो गया है। उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०—105/1974 पर धारित दोनाली बन्दूक अपने नाम करने हेतु एवं आवेदक द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि “आवेदक की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजे अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अधीन उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश दे सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री बिक्रमादित्य कुमार, पिता-श्री साधु शरण सिंह, सा०-ईकबालगंज, निसरपुरा, थाना-रानीतालाब, जिला-पटना के आवेदित एक डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।